न्यायालय–जनपद न्यायाधीश, बदायूं।

रेन्ट अपील संख्या–०३/२०२०

CNR No–UPBN01–003954–2020

हरी बाबू बनाम पंकज वार्ष्णेय आदि

१३–०४–२०२२

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अपीलार्थी की ओर से पैरोकार संजय उपस्थित आया। विपक्षी उपस्थित है। अपीलार्थी की ओर से पैरोकार संजय द्वारा इस आशय का स्थगन प्रार्थनापत्र २२घ प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त अपील उसके पिता हरीबाबू ने प्रस्तुत की थी उनकी मृत्यु हो गयी है उनके सभी वारिसान नहीं आ सके हैं इस कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी है। प्रार्थी की मां ७०वर्षीय वृद्व महिला है जो अधिकांशतः अस्वस्थ रहती है। मृतक के सभी वारिसान अपने अधिवक्ता के पास आकर प्रार्थना पत्र विरासत तैयार नहीं करा सके हैं। इस कारण आज अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं है। प्रार्थना है कि आज की तिथि स्थगित किये जाने की कृपा की जाये।

उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र का विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया कि अपील अवैट हो चुकी है। अब कोई औचित्य स्थगन प्रार्थना पत्र का नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक ०९–०३–२०२२ के आदेश पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी की मृत्यु होने का पृष्ठांकन किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा इस संबंध में आवश्यक पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया व तिथि ०५–०४–२०२२ नियत की गयी। नियत तिथि ०५–०४–२०२२ को अपीलार्थी की ओर से पैरोकार संजय उपस्थित आया तथा न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की मृत्यु के संबंध में आवश्यक पैरवी करने हेतु आदेशित किया गया तथा तिथि १३–०४–२०२२ नियत की गयी। आज नियत तिथि पर अपीलार्थी के पैरोकार की ओर से मृतक के सभी वारिसान द्वारा अधिवक्ता के पास आकर प्रार्थना पत्र विरासत तैयार न करा पाने आदि का हवाला देते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उ०प्र० शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) नियमावली, १९७२ के नियम २५(१) के अनुसार–किसी ऐसे व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों का एक पक्ष था और कार्यवाहियों के विचाराधीन रहने के दौरान जिसकी मृत्यु हो गयी हो, के वारिसों, विधिक प्रतिनिधियों, दावेदारों अथवा अध्यासियों के नामों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के दिनांक से एक माह के भीतर दिया जाये।

प्रस्तुत रेन्ट अपील में अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक ०९-०३-२०२२ को न्यायालय को अवगत कराया गया एवं आदेश पत्र पर अपीलार्थी की मृत्यु होने का पृष्ठांकन भी किया। उसके बाद नियत तिथि ०५-०४-२०२२ को अपीलार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित आया और न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की मृत्यु के संबंध में आवश्यक पैरवी करने हेतु आदेशित किया गया, परन्तु अपीलार्थी के पैरोकार द्वारा कोई पैरवी नहीं की गयी है, न ही अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधियों के नामों को प्रतिस्थापित करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक ०९-०३-२०२२ को न्यायालय को अवगत कराये जाने के बाद से एक माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और अपीलार्थी के पैरोकार की ओर से निर्धारित अवधि में अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधियों के नामों को प्रतिस्थापित करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी के पैरोकार द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र महत्वहीन है। तद्नुसार स्थगन प्रार्थनापत्र २२घ निरस्त किया जाता है। प्रस्तुत रेन्ट अपील अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने के कारण उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

जनपद न्यायाधीश,
बदायूं